कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2724 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 01-4-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम - तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151058/2022)

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 2882/12-1 (2) दिनांक 14.03.2023।

महोदय,

विषयगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा ने इस कार्यालय को सूचित किया है। इन्हें तीन प्रतियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 2882 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 27/03/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :— जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं0 151058 / 2022) ।

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून की पत्र सं0 2840 / FP/UK/ROAD/151058/2022 देहरादून दिनांक 27.05.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु संख्या— 1 से 12 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर आनलाईन / ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नानुसार महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव को बाइण्डिग कर प्रेषित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव बाइण्डिग करा लिया गया है।
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—1, 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र भाग—1, 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।
3.	प्रस्ताव में पृष्ठ सं0 अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है।
4.	प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पस्ठ रूप से दर्षाया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पस्ठ रूप से दर्षाया गया है तथा संकेत चिन्ह में भी अंकित किया गया है।
5.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत अधिकारी / जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत संरपंच के हस्ताक्षर करा लिये गये है तथा पार्ट—II के Additional Information में लैण्ड शेडयूल को अपलोड कर दिया गया है।
6.	ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा—A(X) में वन भूमि 1000 वर्षो हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा—A(X) में सूचना सही अंकित कर ली गयी है।
7.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट— I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
8.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट— I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट—I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया

		गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर लिया गया है।
10.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 **ROW** में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 **ROW** में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड कर ली गयी है। तथा पार्ट–**II** के पैरा 4(**ii**) में 7 मी0 में प्रभावित वृक्षों की संख्या अपलोड कर दी गयी है तथा वृक्षों की सूची को **Additional Information** में अपलोड किया गया है।
11.	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।
12.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिर्पोट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2024 / 1–42(III) दिनॉक 22.02.2022 एवं षासन के पत्रांक 290 / X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा डी0एस0एस0 एनालिसिस हेतु अपने पत्र सं0 409 / 7सी0 दिनांक 10.03.2023 से नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

भवदीय

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail :ceepdalmora@rediff.com

पत्रांक 409 /7सी०
सेवा में,

दिनांक 10 मार्च 2023

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालौनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलेड़ी से ग्राम पंचायत नी (जिफल्टा) कोकिलागॉव तक मोटर मार्ग हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 151058/2022)।

संदर्भः प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा का कार्यालय पत्र सं0 4422/12–1(2) दिनॉक 04.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं आपत्तियॉं इंगित की गयी है। आपत्ति पत्र के क्रम सं0 12 में सी०ए० क्षेत्र की डी०एस०एस० एनालिसिस रिपोर्ट उपल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सी०ए० क्षेत्र की डी०एस०एस० एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिक अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि इस कार्यालय डी०एस०एस० टैक्नीशियन नहीं है जिस कारण डी०एस०एस० एनालिसिस कार्य किया जाना संभव नहीं है।

विषयगत मोटर मार्ग में अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम मेहरनैल द्वाराहाट वन क्षेत्र में 7.893 है0 सिविल भूमि आवंटित है। आवंटित भूमि के अक्षांक्ष एवं देशान्तर निम्नवत हैं।

I_D	Longitude	Latitude
1	29° 45' 17.172" N	79° 16' 16.955" E
2	29° 45' 16.999" N	79° 16' 12.765" E
3	29° 45' 21.964" N	79° 16' 12.772" E
4	29° 45' 22.333" N	79° 16' 15.927" E
5	29° 45' 25.954" N	79° 16' 16.637" E
6	29° 45' 29.264" N	79° 16' 17.024" E
7	29° 45' 32.243" N	79° 16' 16.567" E
8	29° 45' 30.772" N	79° 16' 20.927" E
9	29° 45' 29.695" N	79° 16' 24.022" E
10	29° 45' 26.489" N	79° 16' 23.747" E
11	29° 45' 24.157" N	79° 16' 22.821" E
12	29° 45' 21.509" N	79° 16' 22.683" E
13	29° 45' 18.620" N	79° 16' 20.688" E
14	29° 45' 19.309" N	79° 16' 17.740" E

अतः अनुरोध है कि विषयक मार्ग में इंगित आपत्तियों के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र की डी०एस०एस० एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,अल्मोड़ा।

पत्रांक 409 /7सी० तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यव प्रेषित।

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता.